फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

पूरणचन्द बनाम मूलचन्द

ख्या : 8/24 TR

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/7/24	पत्रावली आज दिनांक 16/7/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/7/24 को पेश हो।	
30/7/24	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा. संख्या –03 / 2024 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –04.01.2024

पूनमचन्द पुत्र नाथू, उम्र वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र नाथूराम
2. हनुमान सहाय पुत्र नाथूराम

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
4. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री जितेन्द्र शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 30.07.2024

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी / वादी ग्राम महेशपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर का रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है जिनकी वाके ग्राम महेशपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अभि. नि. क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में खसरा नम्बर रकबा 470 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 471 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 472 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 473 रकबा 7.98 हैक्टेयर, 475 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 477 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 8.57 हैक्टेयर वर्णित आराजी ही इस प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है जिसे की प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात् के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित विवादित आराजीयात् प्रार्थी / वादी एवं अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमियों का आज दिन तक भी विधिवत् रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकासमा नहीं किया गया है उक्त में विवादित आराजीयात् भूमि सारणी खाता संख्या 64 प्रार्थी / वादी का खातेदारी हिस्सा 1/3 भाग निहित है तथा शेष भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है जिसका आज दिन तक भी किसी भी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत तकासमा तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदारों ने विवादित आराजीयात को मनबट अनुसार बांट रखा है तथा उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कर रहे है। यह कि प्रार्थीध्वादी विवादित आराजीयात् में निहित स्वयं के हिस्से पर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा संयुक्त रूप से ही कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीध्वादी राजस्व रिकार्ड में निहित अपने हिस्से अनुरूप लगातार राज्य सरकार को लगान सरकारी अदा करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी कर रहा है । प्रार्थी / वादी द्वारा विवादित आराजीयात् के अन्य सहखातेदारों अर्थात् अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से विवादित आराजीयात् का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत् रूप से तकासमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया जिस पर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी / वादी को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा प्रार्थी / वादी के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा नहीं करवाया गया। प्रार्थी / वादी द्वारा दिनांक 30.12.2023 को अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात् का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर करने पर विधिवत् तकासमा किये जाने बाबत् निवेदन करने व 2 उग्र हो गये तथा अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 प्रार्थी वादी को विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा विवादित आराजीयात् जो वर्तमान में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है में बिना विधिवत् तकासमा करवाये ही आवासीय भूखण्डों में विभक्त करने, पुख्ता निर्माण कार्य

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

करनें एवं विवादित भूमि का बेचान हस्तानान्तरण करने की धमकी दी गई। जिस कारण प्रार्थी / वादी को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । यह कि प्रार्थी / वादी कानूनन अधिकारी है कि विवादित आराजीयात् का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकासमा करवायें एवं विवादित आराजीयात् में निहित प्रार्थी / वादी के हिस्से का पर्चा लगान अलग से कायम करवायें तथा जरिये तकासमा प्रार्थी / वादी को प्राप्त आराजीयात् का वास्तविक कब्जा प्राप्त करें । यह कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी / वादी को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णितानुसार दिनांक 30.12.2023 को धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थी / वादी अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादित आराजीयात् का बिना विधिवत् तकासमा करवायें किसी विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित नहीं करें, ना हीं प्रार्थी / वादी को विवादित आराजीयात् में निहित प्रार्थी / वादी के शामलाती कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें, ना हीं विवादग्रस्त आराजीयात् को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करें, ना हीं प्लॉटिंग करें, ना हीं रोड वगै. डालें, ना हीं कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना हीं निर्माण सामग्री डलवायें, ना हीं प्रार्थी / वादी के अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही कारित संख्या 3 विवादित करें तथा आराजीयात् बाबत् किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें तथा अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 4 विवादित आराजीयात् बाबत् किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ना हीं अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात् अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात् की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। यह कि यदि माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात् का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत् तकासमा नहीं किया जाता है एवं अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात् को खुर्द बुर्द कर देंगे तथा प्रार्थी / वादी को उसके हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिससे प्रार्थी / वादी के साम्पत्तिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी । यह कि प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी / वादी के पक्ष में बखूबी साबित है।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल प्रमाणित जमाबंदी ग्राम महेशपुरा संवत् 2073 से 2076 तक एवं खसरा नक्शा जमाबंदी की फोटो प्रति पेश की।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई। अप्रार्थी सख्या 2 ने जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 13.06.2024 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। हस्तगत जवाब प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा कभी भी उत्तरदाता को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस में विभाजन करवाने का अनुरोध किया गया है यदि वाद में वर्णित आराजीयात की दक्षिण दिशा में स्थित मुख्य सडक/ रास्ते के मध्य नजर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (सरस नरस) में विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति व उज्र नही है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया है। गलत होने से स्वीकार नही है. दिनांक 30–12–2023 का वाक्या मनगढन्त बनावटी दर्ज किया है मात्र वाद कारण दर्ज करने के लिहाज से वादी ने उक्त मद में झूठे बनावटी तथ्य अंकित किये है। जो गलत होने से स्वीकार नही है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है । वाद कारण के अभाव मे वांदी का वाद ही खारिज योग्य है तो प्रार्थना पत्र स्वतः ही काबिले खारिज है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया है। प्रार्थी स्वंय साबित करे। वाद पत्र का मद नम्बर 9 जिस प्रकार से वर्णित किया है। गलत होने से स्वीकार नही है मिन उत्तरदाता उक्त आराजी का सहखातेदार काश्तकार है ओर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकता है मिन उत्तरदाता अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 10 जिस प्रकार से वर्णित किया है। गलत होने से स्वीकार नही है मिन उत्तरदाता उक्त आराजी का सहखातेदार काश्तकार है ओर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकता है मिन उत्तरदाता अपने हिस्से की भूमि उपयोग उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है। मिन उत्तरदाता द्वारा वादी के किसी भी प्रकार से साम्पतिक अधिकारो का हनन नही किया जा रहा है उक्त मंद में गलत तथ्य अंकित किये है। जो स्वीकार नही है यह कि वाद पत्र का मद नम्बर 11 जिस प्रकार से वर्णित किया है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण है ना ही प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का संतुलन ना ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को हो रही है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात् जो वर्तमान में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है में बिना विधिवत् तकासमा करवाये ही आवासीय भूखण्डों में विभक्त करने, पुख्ता निर्माण कार्य करनें एवं विवादित भूमि का बेचान करना चाहते है। प्रस्तुत तर्को के आधार प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि का बेचान करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि आराजी वाके ग्राम महेशपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू. अभि. नि. क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में खसरा नम्बर रकबा 470 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 471 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 472 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 473 रकबा 7.98 हैक्टेयर, 475 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 477 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 8.57 हैक्टेयर में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। उक्त आदेश कृषि कार्य करने एवं सरकारी योजनाओ के लाभ लेने पर लागू नहीं होंगे। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर